प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय:- जिला विकास कार्यालय, बाराबंकी के अनुरक्षण/निर्माण/सुदृढीकरण हेतु 29-अनुरक्षण मद से धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-484/नाजिर विकास/निशक्त वि0लि0/नि0का0/धन0आवं0/2014-15, दिनांक 20 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भगत पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के अनुक्रम में विकास भवन बाराबंकी के अनुरक्षण कार्य कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रु0 85,23,800/- (रू0 पच्चासी लाख तेइस हजार आठ सौ मात्र) जो आपके निवर्तन पर उपलब्ध है, को व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आवंटित धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2015 तक सुनिश्चित किया जाये।

(2) धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में प्राविधानित व्यवस्था तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) वित्त विभाग एवं शासन द्वारा निर्माण कार्यों हेत निर्गत विभिन्न शासनादेशों तथा बजटीय नियमों का सम्यक पालन किया जायेगा और धनराशि का आहरण निर्धारित कार्यों के लक्ष्यानुसार प्रगति के अनुसार किया जाय। तकनीकी अनुश्रवण/सत्यापन आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर गठित तकनीकी आडिट सेल द्वारा किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है, तो राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण मुख्यालय पर गठित समिति से करा लिया जायेगा। यदि आगणित धनराशि में कोई विशमता आती है, तो अवशेष धनराशि शासन को नियमानुसार समर्पित की जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनतर्गत अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-5/2015-577/38-3-2015, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
3. जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।